UG study material for students of History

Subject : History

class : UG Semester IV
Paper : MJC-05

Topic : चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था-I

By : Dr. Rajiv Nayan
Associate Professor,
Deptt. of History,
Jagjiwan College, Ara.

Scanned by CamScanner

चोलों की प्रशासनिक व्यवस्था - I

लगभग 400 वर्षों तक चोलों ने दक्षिण भारत में सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व प्राप्त किया। इनकी उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच काफी मतभेद है। विद्वानों के अनुसार चुल, चोलम, चोर तथा कोल शब्द से 'चोल' की उत्पत्ति हुई है, परन्तु अन्य लोग इससे सहमत नहीं हैं। 'चोल' चूल से निकला हुआ प्रतीत होता है; क्योंकि इसका अर्थ शिर अथवा श्रेष्ठ होता है। इसमें संदेह नहीं कि चोल पुराने राजवंश के थे; क्योंकि कात्यायन, अशोक के शिलालेख और अन्य प्राचीन ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। चोलराष्ट्र या चोलमंडलम पेन्नार और वेल्लार नदियों के बीच पूर्वी समुद्रतट पर स्थित था जिसकी प्राचीन राजधानी त्रिचनापल्ली के पास उरगपुर (उरैयूर, वरियुर) था।

उत्पत्ति संबंधी मतभेद जो भी हो, विभिन्न पुरातात्विक (अभिलेख आदि) एवं साहित्यिक स्रोतों से ज्ञात है कि चोलों ने एक सुव्यवस्थित एवं सुनियंत्रित प्रशासनिक व्यवस्था कायम की जिसमें केन्द्र का शक्तिशाली नियंत्रण होने के साथ ही स्थानीय स्वशासनाधिकार भी बड़ी मात्रा में सुरक्षित किये गये। इस शांति एवं सुव्यवस्था के कारण ही चोलों के अधीन सांस्कृतिक प्रगति की वह अविरल धारा प्रवाहित हुई जिसने कई अविस्मरणीय भारतीय प्रतिमान

Scanned by CamScanner

स्थापित करने के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया को भी प्रभावित किया। नीलकंठ शास्त्री लिखते हैं, "चोलों में निर्माणात्मक क्षमता होने के साथ ही एक कुशल प्रशासक के भी सभी गुण मौजूद थे। उन्होंने उस समय जिस ग्रामीण स्वशासन-तंत्र का निर्माण किया, उसकी उपयोगिता आज भी समीचीन है।"

पिछले युग की तरह ही इस युग में भी सरकार का स्वरूप वंशगत राजतंत्र था। राज्य की रक्षा, न्याय और शासन का पूर्ण दायित्व राजा पर होता था जिसकी सहायता के लिए मंत्री और अमात्य हुआ करते थे। उत्तराधिकारी के झगड़े भी होते थे, किन्तु सामान्यतः राजवंश के सबसे बड़े लड़के को उत्तराधिकारी के अधिकार का सम्मान होता था और राजा के शासन काल में ही युवराज का मनोनयन कर दिये जाने से झगड़े की संभावना और कम हो जाती थी। चोलों का राज्याभिषेक समारोह तंजौर, गंगाकोंडईचोलपुरम्, चिदम्बरम् तथा कभी-कभी कांचीपुरम् में होता था।

राजा मौखिक आदेशों (तिरुवाक्य केल्वी) के द्वारा अपना कार्य-सम्पादन करते थे किन्तु, इन आदेशों को प्राप्त करने और उन्हें कार्यान्वित करने से पहले एक विस्तृत कार्य-प्रणाली का पालन किया जाता था। चोल राजा प्रधान न्यायालय (ओलई)

के अतिरिक्त अपने साथ निकट सेवकों के रूप में कार्य-सम्पादन में सलाह देने के लिए सभी प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि मंत्रियों को रखते थे जो 'उडुनकुट्टम्' कहलाते थे।

चोल प्रशासन तंत्र एक ऐसी जटिल नौकरशाही की जिसमें विभिन्न स्तरों पर अधिकारी भरे पड़े थे। समाज में सरकारी अधिकारियों का एक अलग वर्ग जैसा था जो दो श्रेणियों में विभक्त था। इनमें ऊपरी श्रेणी 'पेरुन्दनम्' और निम्नस्थ श्रेणी 'शिरुदनम्' कहलाती थी। सरकारी पद अक्सर कुल परम्परागत होते थे तथा नागरिक और सैनिक सेवाओं में कोई स्पष्ट भेद नहीं था। भर्ती की प्रणाली अथवा प्रोन्नति-संबंधी नियमों के बारे में जानकारी अपर्याप्त है।

चोलों के समय में उद्योग-धंधों, आंतरिक तथा सामुद्रिक व्यापारों, कृषि उत्पादनों में अभूतपूर्व उन्नति हुई। कुलोत्तुंग प्रथम ने भूमि की माप (नाप) कराई। ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि कृषि-उत्पादन का एक तिहाई भू-राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इतना ही नहीं, कृषि-भूमि की किस्मों का समय-समय पर पुनर्मूल्यांकन तथा भू-राजस्व का पुनर्निर्धारण किये जाने का भी उल्लेख मिलता है। सीमा-शुल्क, राहदारी, अनेक व्यवसाय तथा धंधों पर लगाए गये करों से राज्य को आमदनी होती थी।

Scanned by CamScanner

तत्कालीन अभिलेखों में कई प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है – तरिइरिय, शेक्कलेरिची, सेट्टिरची, तत्तारपाट्टम, वलिआयम, उल्पायम, ईड्वरि इत्यादि। करों की वसूली में कभी-कभी कठोरता भी बरती जाती थी। प्रशासन में सामंती ढाँचे के बढ़ जाने से जनसाधारण (विशेष रूप से कृषिकर्मी लोगों) पर कर-भार का बढ़ना स्वाभाविक था। चोल प्रशासन में भूमिदान की प्रक्रिया जटिलतर होती चली गयी। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विभिन्न संबंधित विभागों के सचिवों, करों के अधिकारियों तथा जिला-स्तर के कर्मचारियों आदि के द्वारा भूमि-हस्तांतरण की कार्यवाही की जाती थी।

चोल राज्य (राज्यम्) प्रांतों (मंडलम्) में विभाजित होते थे। साधारणतया आठ या नौ मंडलम् प्रत्येक राज्य में होते थे। प्रत्येक मंडलम 'वालानाडु' या जिलों में विभक्त था। ये जिले ग्रामों के समूह में विभाजित होते थे जो भिन्न-भिन्न स्थानों पर 'कुर्रम', 'नाडु' अथवा 'कोट्टम' कहलाते थे। कभी-कभी बहुत बड़े ग्राम का शासन एक इकाई के रूप में होता था और यह 'तनियूर' कहलाते थे। सबके नीचे अनेक स्वशासित ग्राम होते थे।

Scanned by CamScanner